न्यायालय सहायक कलक्टर (FT),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 16/23 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2023/34

अनवान्

1. श्रीमती भगु पुत्री लक्ष्मण पत्नी नारायण गुर्जर निवासी भोपाजी की भागल गोलवाडा तहसील मावली।
2. मीना पुत्री किशनलाल गुर्जर निवासी गरडा की भागल तहसील मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लक्ष्मण पिता नारायण गुर्जर निवासी गरडा की भागल तहसील मावली।
2. श्री भीमराज पिता धना गुर्जर निवासी सिंधियों का बडगांव तहसील वल्लभनगर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली।
5. उप पंजीयक अधिकारी सनवाड तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री सुखदेव सिंह उज्जवल, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 29.09.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा गरडा की भागल पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली की आराजी नम्बर 1859, 1860 किता 2 कुल रकबा 1.3436 हेक्टेयर आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 1 के नाम स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से अंकित हैं।
2. यह कि हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

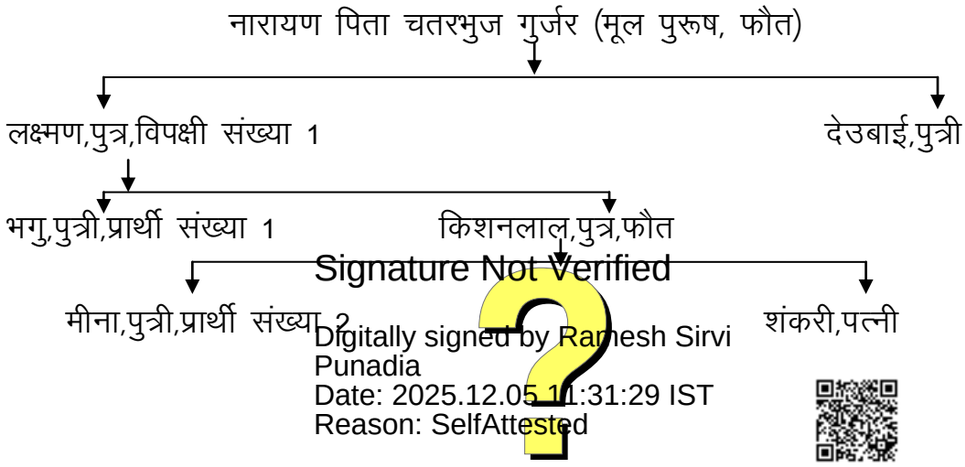

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

उक्त सजरे अनुसार नारायण पिता चतरभुज गुर्जर हमारे मूल पुरूष थे जिनके एक पुत्र लक्ष्मण (विपक्षी संख्या 1) हुआ एवं एक पुत्री देऊबाई हुई। पुत्र लक्ष्मण के एक पुत्री भगु (प्रार्थी संख्या 1) एवं एक पुत्र किशन हुए। पुत्र किशन का निधन हो चुका हैं जिनके वारिस पुत्री मीना (प्रार्थी संख्या 2) एवं पत्नी शंकरी हैं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात जो हमारी पैतृक सम्पति है जो पूर्व की राजस्व जमाबन्दीयों में हमारे मौरूस नारायण पिता चतरभुज गुर्जर के नाम पर दर्ज थी तथा हमारे मौरूस नारायण पिता चतरभुज गुर्जर के निधनोपरान्त उक्त भूमि उनके पुत्र लक्ष्मण (विपक्षी संख्या 1) के नाम पर विरासत से अंकित हुई जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित चली आ रही हैं। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी संख्या 1 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 2 के दादाजी हैं। उक्त वर्णित भूमि पर हम प्रार्थीगण का हमारे हिस्सेनुसार कब्जा, उपयोग उपभोग चला आ रहा है अर्थात् विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में हम प्रार्थीगण प्रत्येक उक्त भूमि के 1/3 हिस्सानुसार भूमि पर काबिज हो काश्त करते आ रहे है तथा प्रार्थी संख्या 2 के पिता उनके जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि में निहित अपने हक हिस्से पर काबिज हो उपयोग उपभोग करते आये तथा प्रार्थी संख्या 2 के पिता श्री किशनलाल की मृत्यु दिनांक 13.10.2022 को होने के पश्चात् से प्रार्थी संख्या 2 अपनी माता के सहयोग से उक्त हिस्सा भूमि पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन वर्तमान में उक्त कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठा हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से की भूमि से वंचित करने की नियत से बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में से विपक्षी संख्या 1 ने 6476/13436 हिस्सा कृषि भूमि अपनी होना बताकर विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में उक्त हिस्से का दिनांक 15.03.2023 को नुमाईशी विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया और उस नुमाईशी विक्रय पत्र में कब्जा सुपुर्द करने का मिथ्या कथन भी अंकित करवा दिया जबकि विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमियों में अपने हिस्से से अधिक भूमि को हस्तान्तरित करने बाबत् कोई भी दस्तावेज निष्पादित करने का हक व अधिकार नहीं था और न ही विपक्षी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हैं। उक्त भूमि हमारी पैतृक सम्पति है जिससे विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में विपक्षी संख्या 1 ने जो नुमाईशी विक्रय पत्र सम्पादित कराया है वह हम प्रार्थीगण के मुकाबले बेअसर व शून्य निष्प्रभावी हैं। उक्त भूमि हमारी पैतृक सम्पति है और इसमें हमको जन्म से ही हक अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित भूमि में अपने

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सेनुसार भूमि की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण की ओर से माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

4. यह कि हम प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक सम्पति है जिसमें हम प्रार्थीगण को जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हो गये हैं लेकिन उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के 6476/13436 हिस्से का विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र सम्पादित कर भूमि हस्तान्तरित कर दी जिससे विपक्षी संख्या 2 उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र की आड लेकर उक्त भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवाने के प्रयास कर रहा है और मौके पर आकर हम प्रार्थीगण को धमकी दे रहा है कि जमीन मैने खरीद ली है, तुम इस जमीन से कब्जा हटा लेना वरना जबरन ताकत के बल पर तुम्हारा कब्जा हटा देगें। विपक्षी संख्या 1 अपने नाम पर अंकित शेष हिस्सा भूमि को भी हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहा है और इस हेतु निरन्तर ऐलानिया धमकीया भी दे रहा है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि विपक्षी संख्या 1, 2 हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, अन्य को रहन बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, विपक्षी संख्या 2 उक्त भूमि को अपने नाम पर रद्दोबदल नहीं करावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावे, मौके व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 3 से 5 भी उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार के दस्तावेज पंजीयन नहीं करे, नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करे, रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हम प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

5. यह कि हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 17.03.2023 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 2 ने मौके पर आकर हम प्रार्थीगण को कहा कि उसने विपक्षी संख्या 1 से जमीन खरीद ली है इसलिए तुम लोग इस जमीन से अपना कब्जा हटा लेना वरना जबरन बेदखल कर कब्जा कर लुंगा। इसके साथ विपक्षी संख्या 1 ने शेष जमीन को भी हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की ऐलानिया धमकी दी, तब उत्पन्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1, 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में हम प्रार्थीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, विपक्षी संख्या 2 अपने नाम पर नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करे, रेकार्ड में अपना नाम दर्ज नहीं करावें, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 1, 2 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन/नामान्तरकरण कराने हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला मूल वाद विपक्षी संख्या 5 पंजीयन नहीं करे व विपक्षी संख्या 3, 4 ताफैसला मूल वाद राजस्व रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा गरडा की भागल पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली में स्थित उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान में मुझ विपक्षी संख्या 2 के नाम 1619/3359 हिस्सा एवं सुरेश पिता भीमराज गुर्जर के नाम 1740/3359 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से अंकित होकर कुलिया कृषि भूमि पर वक्त खरीद से मुझ विपक्षी संख्या 2 एवं सुरेश पिता भीमराज गुर्जर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है और आज भी हमारे ही कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में हैं। मुझ विपक्षी के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रार्थीगण अथवा विपक्षी संख्या 1 का कोई हक अधिकार, कब्जा भुगत भोग नहीं है और वर्तमान में उक्त कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम संयुक्त अथवा स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से अंकित भी नहीं हैं प्रार्थीगण ने अन्य क्रेता सहखातेदार सुरेश पिता भीमराज गुर्जर को जानबुझकर पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है जिसके अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हैं।

7. यह कि प्रार्थीगण का इस कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं रहा है, न ही वर्तमान में है, न ही प्रार्थीगण का इस भूमि के किसी भाग पर कब्जा है बल्कि वास्तविकता यह है कि वाद वर्णित कृषि भूमि पूर्व में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी तथा विपक्षी संख्या 1 ने संयुक्त परिवार का कर्ताखानदान होने से संयुक्त परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एवं कर्जा हेतु रूपयों की जरूरत होने से विपक्षी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 ने अपने परिवार के सभी सदस्यों की सहमति प्राप्त कर वाद वर्णित कृषि भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा मुझ विपक्षी संख्या 2 एवं क्रेता सुरेश पिता भीमराज गुर्जर को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया है और उक्त भूमि विक्रय कराने में प्रार्थीगण की भी पूर्ण सहमति थी किन्तु अब प्रार्थीगण ने हमको नाजायज तरीके से तंग व परेशान करने की नीयत से एवं और रूपये ऐंठने की नियत से मनगढन्त कथनों के आधार पर यह झूठा दावा आप न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जबकि प्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। मुझ विपक्षी एवं सुरेश पिता भीमराज गुर्जर ने विपक्षी संख्या 1 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए भूमि क्रय कर भूमि का मौके पर आधिपत्य प्राप्त किया है और पंजीकृत विक्रय पत्र से हमारी क्रयसुदा भूमि हमारे नाम रेकार्ड में दर्ज हुई है जिस पर मैं विपक्षी एवं क्रेता सुरेश जो दोनो पिता–पुत्र है, निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 ने पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर मुझ विपक्षी एवं क्रेता सुरेश के पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया है जो प्रार्थीगण के कहने मात्र से बेअसर व शून्य निष्प्रभावी नहीं हो सकते है, न ही ऐसा माना जा सकता है। हमने उक्त क्रयसुदा भूमि का पूर्ण प्रतिफल पूर्व खातेदार विपक्षी संख्या 1 को अदा किया है और मौके पर हम क्रेतागण क्रय की तिथी से अपने परिवारजन सहित निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा उक्त कृषि भूमि कम विकसित होने के कारण हमने इस कृषि भूमि को विकसित करने हेतु करीब 4–5 लाख रूपयों का खर्चा करते हुए इस भूमि से कंटीली झाडियों, पत्थरों को हटवाया एवं उबड खाबड भूमि पर कई ट्रेक्टर उपजाऊ मिट्टी के डलवा कर भूमि को समतल करवाकर उपजाऊ बनाया और हम क्रेतागण हमारे परिवार के सदस्य सहित हमारी उक्त काबिल काश्त भूमि पर काबिज होकर नियमित रूप से फसलों की बुवाई करते आ रहे है और पैदा होने वाली उपज प्राप्त करते आ रहे है जिस कृषि भूमि से प्रार्थीगण का कोई सरोकार नहीं रहा है, न ही इस कृषि भूमि में प्रार्थीगण का कोई हिस्सा हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार के हक हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं हैं।

8. यह कि प्रार्थीगण का न तो प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है, न ही सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में मुझ विपक्षी एवं क्रेता सुरेश के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है और वक्त खरीद से ही मुझ विपक्षी एवं क्रेता सुरेश के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में है और हमने इस कृषि भूमि पर अब तक लाखों रूपयों की लागत लगा दी है जिसका ज्ञान प्रार्थीगण तथा हर आम एवं खास को है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उसके नाम दर्ज कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

भूमि को संयुक्त परिवार का कर्ताखानदान की हैसियत से पारिवारिक जायज आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुझ विपक्षी एवं क्रेता सुरेश को विक्रय की है जो पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रियाओं के पालन में की गई है तथा मैं विपक्षी एवं क्रेता सुरेश सद्‌भावी क्रेता होकर खातेदार काश्तकार है जिससे प्रार्थीगण का उक्त वर्णित सम्पति में कोई हक अधिकार नहीं है। मैं विपक्षी एवं क्रेता सुरेश इस कृषि भूमि का पंजीकृत स्वामी होकर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और क्रय तिथी से निर्बाध रूप से काबिज चले आ रहे है। इसके विपरीत प्रार्थीगण न तो खातेदार है, न ही इस भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा भुगत भोग रहा है। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण मुझ विपक्षी के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से मुझ विपक्षी को भारी क्षति एवं असुविधा होगी और इसकी आड में प्रार्थीगण मेरे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करेंगे, कब्जा करने की कोशिश करेंगे जिससे मुझ विपक्षी के वैध विधि अधिकारों का हनन होकर इससे मुझ विपक्षी को अतुलनीय क्षति एवं अशोधनीय हानि होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो–पैसों में आंका जाना सम्भव नहीं है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थीगण को कोई क्षति या असुविधा न तो हो रही है, न ही भविष्य में होगी। कानूनन भी खातेदार काश्तकार को उसकी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से रोका जाना न्यायोचित नहीं हैं।

9. यह कि मुझ विपक्षी के विरूद्व दिनांक 17.03.2023 या अन्य किसी दिवस कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं हुआ है और न ही निरन्तर जारी हैं। प्रार्थीगण ने केवल मात्र दबाव बनाकर मुझ विपक्षी से नाजायज रूप से रूपया ऐंठने की मन्शा से गलत प्रार्थना पत्र कारण रचित कर यह मिथ्या मुकदमा माननीय न्यायालय आपमें कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्ततः सव्यय खारिज होगा। प्रार्थीगण मुझ विपक्षी के विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्ति का अधिकारी नहीं हैं।

10. **विशेष कथन प्रस्तुत कर** निवेदन किया कि प्रार्थीगण माननीय न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आये है तथा सभी झूठे तथ्य अंकित कर माननीय न्यायालय से दाद प्राप्त करना चाह रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जो पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया है उसे जब तक सिविल न्यायालय से केन्सल नहीं करा देवे तब तक प्रार्थीगण को इस न्यायालय में वाद या प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा वाद वर्णित कृषि भूमि में से 1740/3359 हिस्सा पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिए सुरेश पिता भीमराज गुर्जर को विक्रय किया है जिससे उक्त हिस्सेनुसार क्रेता सुरेश का नाम उक्त कृषि भूमि में खातेदार की हैसियत से दर्ज भी हुआ है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

जिसका ज्ञान प्रार्थीगण को है फिर भी प्रार्थीगण ने जानबुझकर उक्त सहखातेदार को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है जिससे भी प्रार्थीगण का वाद चलने योग्य नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

11. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम स्वतन्त्र रूप से खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पति है मौरूसी सम्पति में हमारा भी हक हिस्सा निहित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 लक्ष्मण के नाम स्वतन्त्र रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण के पिता/दादा हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता/दादा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से अपने हिस्से की घोषणा चाही हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.03.2023 से जाहिर होता है कि विपक्षी संख्या 1 लक्ष्मण द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि में से 6476/13436 वां हिस्सा विक्रय कर दिया। इस कारण वर्तमान में विपक्षीगण संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार होना जाहिर होता हैं। विपक्षीगण वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन—* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नहीं होकर विपक्षी संख्या 1 खातेदार एवं विपक्षी संख्या 2 उनमें से खातेदार काश्तकार हो चुका हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो विपक्षीगण को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति*– चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षी सं. 1 खातेदार एवं विपक्षी संख्या 2 क्रेता होने से खातेदार काश्तकार हो चुके हैं। प्रार्थीगण खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहते है। खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार के हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा तथा खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

13. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा गरडा की भागल पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 76 पर दर्ज आराजी नम्बर 1859, 1860 किता 2 कुल रकबा 1.3436 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 लक्ष्मण के नाम स्वतन्त्र रूप से दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपनी पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता विपक्षी संख्या 1 लक्ष्मण के नाम स्वतन्त्र रूप से दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1 लक्ष्मण द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि में से 6476/13436 वां हिस्सा विक्रय कर दिया। भूमि क्रय करने से विपक्षी संख्या 2 वादग्रस्त भूमि का खातेदार हो चुका है केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ हैं। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि का विपक्षी सं. 1 HUF कर्ता खानदान होने से अपने नाम दर्ज भूमि का परिवार की जायज जरूरतों के लिए उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। विपक्षी संख्या 2 सद्भावी क्रेता की श्रेणी में आता है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा पूर्णप्रतिफल अदा कर वादग्रस्त भूमि को क्रय किया हैं।

वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण खातेदार काश्तकार होने से यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा विपक्षीगण को अपनी भूमि का विकास करने, ऋण आदि लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पडेगा। चूंकि खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार हैं। इस प्रकार खातेदारो के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:29 IST
Reason: SelfAttested